अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत सन्दर्भित वाद संख्या – 241 /2013–14

रेयाज अहमद बनाम मो0 मासुम

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत दावे प्रतिदावे का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। वस्तुतः वाद की विषय वस्तु में मौजा– विलासपुर थाना– हायाघाट जिला– दरभंगा में स्थित खाता नं0– 1843 खेसरा नं0–6371 की 05 धुर भूमि है। आवेदक के अनुसार विपक्षी ने उसपर लाठी के बल पर कब्जा कर दिवाल खड़ा कर दिया है जबकि विपक्षी का दावा है कि उक्त खेसरा की 16 धुर भूमि पर लगभग ग्यारह वर्ष पूर्व से इनका आवासीय घर एंव सहन के रूप में दखल कब्जा चला आ रहा है जिस भूमि सहित अन्य भूमि को इन्होनें दिनांक 11.09.2013 को मो0 इरफान पिता– मो0 नईम मरहुम मौजे– रतनपुरा से बयनामा द्वारा हासिल किया है। आवेदक का दावा है कि प्रश्नगत भूमि इनकी मौरूसी खतियानी भूमि है, जो सर्वे के समय से इनके कब्जे में चला आ रहा है। परन्तु आवेदक ने यह स्पष्ट नहीं किया है खतियान किसके नाम है तथा प्रश्नगत खेसरा का खतियानी रकवा कितना है। जबकि खतियान के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि खाता नं0– 1843 का खतियान मो0 याकुब पिता– मो0 इसमाईल के नाम है जिसमें खेसरा सं0– 6371 का खतियानी रकवा– 08 डी दर्ज है। विपक्षी का दावा है कि ननिहाली सम्पति को मो0 इरफान ने इन्हें बयनामा किया है। उभय पक्षों के दावे प्रतिदावे पर सुनने से स्पष्ट होता है कि आवेदक ने विपक्षी के बेदखली की तिथि का उल्लेख नहीं किया है और यह भी उल्लेख नहीं किया है कि उक्त भूमि के खतियानी रैयत से उनका क्या संबंध है, अपितु सुनने से विदित होता है कि आवेदक खतियानी रैयत मो0 याकुब के पुत्र हैं जबकि मो0 याकुब को तीन पुत्र मो0 मुस्तफा उर्फ कल्लू, मो0 मुर्तुजा उर्फ छोटे एवं आवेदक स्वयं हैं तथा दो पुत्री नेहरून अजीबुन है और मो0 याकुब की विधवा अजमून निशा अभी जिन्दा है। इस प्रकार इस वाद के लिए सभी को पक्षकार होना आवश्यक है, परन्तु स्वयं आवेदक ने वाद पत्र प्रस्तुत किया है	

10/06/14

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	जिससे इस वाद में पक्षदोष होना स्पष्ट होता है। सुनने से यह भी विदित होता है कि इस न्यायालय को किसी दस्तावेज को निरस्त करने तथा बिक्रेता के स्वत्व का निर्धारण करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। चूँकि इस वाद में पक्षकारों के स्वत्व का निर्धारण करने का जटिल प्रश्न निहित है एवं दस्तावेज को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार नहीं है, इस परिस्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार नहीं है, इस परिस्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर का होना स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद की कार्रवाई BLDR Act 2009 की धारा–4 (5) के तहत close (बन्द) की जाती है। आवेदक चाहे तो अपने दावे के उपचार के निमित सक्ष्म व्यवहार न्यायालय के समक्ष याचना करने हेतु स्वतंत्र हैं। इसी आदेश के साथ कार्रवाई समाप्त की जाती है। ''अभिलेख संचिकास्त करें।'' **लेखापित एव शुद्धित** 09/08/14 **भू0 सु0 उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा** 09/08/14 **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।**	